न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :— अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. :— 053/2022

1. इन्द्रजीत पुत्र रामप्रताप जाति बिश्नोई साकिन बिलोचांवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. इमीलाल पुत्र रामप्रताप जाति बिश्नोई साकिन बिलोचांवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
3. जगदीश पुत्र रामप्रताप जाति बिश्नोई साकिन बिलोचांवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
4. भूपराम पुत्र रामप्रताप जाति बिश्नोई साकिन बिलोचांवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
5. राजाराम पुत्र रामप्रताप जाति बिश्नोई साकिन बिलोचांवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
6. हरीशचन्द्र पुत्र रामप्रताप जाति बिश्नोई साकिन बिलोचांवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

—— प्रार्थीगण

—:बनाम:—

1. सरस्वती पत्नी स्व. सुलतानराम जाति कुम्हार साकिन हांसलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. संतोष देवी पुत्री स्व. सुलतानराम जाति कुम्हार साकिन हांसलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. राजू पुत्र स्व. सुलतानराम जाति कुम्हार साकिन हांसलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
4. रोशनी देवी पुत्री स्व. सुलतानराम जाति कुम्हार साकिन हांसलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
5. शकुन्तला पुत्री स्व. सुलतानराम जाति कुम्हार साकिन हांसलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
6. संतोष पुत्री स्व. सुलतानराम जाति कुम्हार साकिन हांसलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
7. वेदप्रकाश पुत्र स्व. सुलतानराम जाति कुम्हार साकिन हांसलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
8. शकील रामप्यारी पत्नी नत्थूराम जाति नायक नाकिन हांसलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान
9. देशराज (फौत)।

9/1. शांती देवी पत्नी देशराज जाति नायक साकिन हांसलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।

9/2. रामकुमार पुत्र देशराज जाति [illegible] तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।

9/3. सुमन पुत्री देशराज जाति नायक साकिन हांसलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।

9/4. कलावती पुत्री देशराज जाति नायक साकिन [illegible]लिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.12.05 15:27:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

9/5. रणजीत कुमार पुत्र देशराज जाति नायक साकिन बिलोचांवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

9/6. सुनीता पुत्री देशराज जाति नायक साकिन हांसलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।

10. दाराराम पुत्र नत्थूराम जाति नायक साकिन हांसलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।

11. लालचन्द पुत्र नत्थूराम जाति नायक साकिन हांसलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।

12. जमना देवी पत्नी रामस्वरूप जाति बावरी साकिन खैरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

14. महावीर, प्रसाद पुत्र मोहन लाल जाति नायक निवासी वार्ड स. 19 मण्डी पीलीबंगा।

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क राजस्व काश्तकारी अधिनियम

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री जगजीत सिंह रमाणा	प्रार्थीगण
2. श्री बलवीर मोयल	अप्रार्थी संख्या 1 ता 11
3. श्री ओमप्रकाश अरोड़ा	अप्रार्थी संख्या 12
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा	अप्रार्थी संख्या 13

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 29.11.2024

प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से **अन्तर्गत धारा 251—क राजस्व काश्तकारी अधिनियम** अप्रार्थीगण के विरूद्व अधिवक्ता श्री जगजीत सिंह रमाणा के द्वारा प्रस्तुत किया गया है प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के नाम से खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 1 एलकेएस के प.नं. 32/275 के किला नं. 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25, प.नं. 33/275 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 कुल 3.795 हैक्ट. नहरी मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074—77 दर्ज राजस्व रिकार्ड है । प्रमाणित प्रति जमाबन्दी मय नक्शा संलग्न प्रार्थना पत्र है ।

यह कि अप्रार्थी सं. 1 ता 7 के पिता स्व. सुलतानराम व प्रार्थी सं. 4, 6 के नाम से सयुंक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक नं. 1 एलकेएस के खाता सं. 95 के प.नं. 32/275 के किला नं. 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 कुल 3.795 हैक्ट. नहरी मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074—77 दर्ज राजस्व रिकार्ड है । प्रमाणित प्रति जमाबन्दी मय नक्शा संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं. 8 ता 12 के नाम से सयुंक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक नं. 1 एलकेएस के खाता सं. 94 के प.नं. 31/274 के किला नं. 16 ता 25, प.नं. 31/275 के किला नं. [illegible] कुल 3.795 हैक्ट. मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074—77 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी मय नक्शा संलग्न प्रार्थना पत्र है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.12.05 15:23:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

यह कि प्रार्थी सं. 1 ता 5 के नाम से संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक नं. 1 एलकेएस के खाता सं. 24 के प.नं. 31/275 के किला नं. 2 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 9, 12 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18, 23, 24, 25/1, 25/2 की कुल 4.554 हैक्ट. नहरी म.गै.मु. मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है।

यह कि अप्रार्थी सं. 8 ता 12 की कृषि भूमि को पीलीबंगा हांसलिया रोड़ से चक 2 एलकेएस के प.नं. 28/274 से 30/274 के प्रत्येक किला नं. 21 ता 25 मे 0.025–0.025 हैक्ट. गै.मु. रास्ता स्वीकृतशुदा है जो चक 1 एलकेएस की सीमा पर आकर रूक जाता है तथा उक्त रास्ता मौका पर चालू है और प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 8 ता 11 के कब्जा काश्त की कृषि भूमि चक 1 एलकेएस के प.नं. 31/274 के किला नं. 21 की दक्षिणी पश्चिमी कुंट से 16 गुणा 16 यानि 0.0023 हैक्ट. व अप्रार्थी सं. 12 के कब्जा काश्त की भूमि चक 1 एलकेएस के प.नं. 31/275 के किला नं. 1 से होते हुये प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 ता 7 अपनी भूमि प.नं. 31/275 के किला नं. 2 ता 5, प.नं. 32/275 के किला नं. 1 ता 3 मे 1–1 बिस्वा बैजानिब उत्तरी दिशा घरेलू रास्ता से आवगमन करते है और कृषि औजार इत्यादि इसी रास्ता से ले जाते है, मौका पर उक्त घरेलू रास्ता काफी समय पूर्व से चला आ रहा है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त घरेलू रास्ता के बदले उनके पूर्वजों को प्रतिकर दे रखा है और उनके वारिसान उक्त घरेलू रास्ता से पूर्णतः सहमत एवं रजामन्द है। प्रार्थीगण की भूमि को उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई सरल एवं निकटम रास्ता नही लगता है इसलिए उक्त तत्कालिक परिस्थितियों को देखते हुये चक 1 एलकेएस के प.नं. 31/274 के किला नं. 21/.0023 हैक्ट. दक्षिणी पश्चिमी कुंट, प.नं. 31/275 के किला नं. 1 ता 5, प.नं. 32/275 के किला नं. 1 ता 3 प्रत्येक मे 0.0125–0.0125 हैक्ट. बैजानिब उत्तरी दिशा रास्ता स्वीकृत किया जावे।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि चक 1 एलकेएस के प.नं. 31/274 के किला नं. 21/.0023 हैक्ट. दक्षिणी पश्चिमी कुंट, प.नं. 31/275 के किला नं. 1 ता 5, प.नं. 32/275 के किला नं. 1 ता 3 प्रत्येक मे 0.0125–0.0125 हैक्ट. बैजानिब उत्तरी दिशा रास्ता स्वीकृत किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को वास्ते तलबी नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी संख्या 1 ता 11 की ओर से श्री बलवीर मोयल अधिवक्ता हाजिर है वकालतनामा संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी संख्या 1 ता 4 व 6 के साथ अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 दिनांक 09.03.22 को स्वयम् हाजिर आये तहरीर शुदा राजीनामा प्रस्तुत किया गया राजीनामा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उपरोक्त अनवान सदर के प्रकरण में दोनो पक्ष एक ही चक में खेत पड़ोसी है। दोनों पक्षो द्वारा पूर्व मे किये गये पंचायती समझौते अनुसार के प्रोत्साहन से परस्पर मुकदमेबाजी नही होने देने के लिए स्वेच्छा पूर्ण राजीनामा कर लिया है जो निम्न प्रकार से है:–कि चक 1 एलकेएस के प.नं. 31/275 के किला नं. 2 ता 5, प.नं. 32/275 के किला नं. 1 ता 3 प्रत्येक मे 0.0125–0.0125 हैक्ट. बैजानिब उत्तरी दिशा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो प्रथम पक्ष व प्रार्थी सं. 5 व अप्रार्थी सं. 1 ता 7 पूर्णतः सहमत एवं रजामन्द है। प्रार्थीगण व द्वितीय पक्ष को उक्त नि[illegible] सरल रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नही लगता है। रास्ता के [illegible] है। कोई प्रतिकर चुकाया नही है। रास्ता मौका पर चालू है। अप्रार्थी सं. 1 [illegible] के पति, पिता स्व. सुलतानराम का देहान्त हो चुका है जिनके जायज व कानूनी वारिसान अप्रार्थी सं. 1 ता 7 ही है, अन्य कोई वारिसान नहीं है। अप्रार्थी सं. 1 ता 7 बतौर वारिसान की हैसियत से स्व. सुलतानराम की

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.12.05 15:27:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

कृषि भूमि पर काबिज काश्त है। जिसमे प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 1 ता 7 पूर्णतः सहमत एवं रजामन्द है

यह कि प्रथम पक्ष/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तो पक्षकारान को कोई उजर एतराज नही होगा । राजीनामा पक्षकारान ने अपनी पूर्ण सहमति बिना किसी नशा पता, बिना किसी दबाव बहकाव के स्वतंत्र सहमति किया है जिसे पक्षकारान ने पढ़, सुन समझ तथा पूर्ण रूप से समझ मे आ जाने के बाद सही होना माना है ।

लिहाजा राजीनामा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/प्रथम पक्ष का मुताबिक राजीनामा निर्णय किया जावे ।

प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 8 ता 12 की ओर से हाजिर होकर इकबाल दावा प्रस्तुत किया गया है अधिवक्ता श्री बलवीर मोयल द्वारा पहचान की गई। अप्रार्थी इकबाल प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 8 ता 11 व 12 की ओर से निम्न प्रकार से है:— यह कि वाद पत्र की दफा 1 को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित है स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित है स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित है स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित है स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 स्वीकार है। अप्रार्थी सं. 8 ता 12 की कृषि भूमि को पीलीबंगा हांसलिया रोड़ से चक 2 एलकेएस के प.नं. 28/274 से 30/274 के प्रत्येक किला नं. 21 ता 25 मे 0.025—0.025 हैक्ट. गै.मु. रास्ता स्वीकृतशुदा है जो चक 1 एलकेएस की सीमा पर आकर रूक जाता है तथा उक्त रास्ता मौका पर चालू है और प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 8 ता 11 के कब्जा काश्त की कृषि भूमि चक 1 एलकेएस के प.नं. 31/274 के किला नं. 21 की दक्षिणी पश्चिमी कुंट से 16 गुणा 16 यानि 0.0023 हैक्ट. व मिन अप्रार्थी सं. 12 के कब्जा काश्त की भूमि चक 1 एलकेएस के प.नं. 31/275 के किला नं. 1 से होते हुये प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 ता 7 अपनी भूमि प. नं. 31/275 के किला नं. 2 ता 5, प.नं. 32/275 के किला नं. 1 ता 3 मे 1—1 बिस्वा बैजानिब उत्तरी दिशा घरेलू रास्ता से आवगमन करते है और कृषि औजार इत्यादि इसी रास्ता से ले जाते है, मौका पर उक्त घरेलू रास्ता काफी समय पूर्व से चला आ रहा है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त घरेलू रास्ता के बदले मिन अप्रार्थी के पूर्वजों द्वारा प्रतिकर के रूप मे राशि प्राप्त कर ली थी। कोई प्रतिकर लेन देन बाकी नही है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गया रास्ता स्वीकार किया जाता है तो मिन अप्रार्थी पूर्णतः सहमत एवं रजामन्द है। अतः इकबाल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जकार प्रार्थना पत्र निर्णय किया जावे तो प्रार्थी पूर्णतः सहमत एवं रजामन्द है।

अधिवक्ता श्री औमप्रकाश अरोड़ा द्वारा अप्रार्थी संख्या 12 की ओर से वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी स. 12 की और से प्रस्तुत किया गया है जो शामिल निम्न प्रकार से है:—

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 में वर्णित तथ्य जिस तरह से अंकित किये है अस्वीकार है। प्रार्थी ने जाबूझकर अपनी कृषि भूमि जो इसी चक [illegible] न. के साथ चिपती हुई है को छुपाया है, ताकि उक्त प्रकरण में न्याय [illegible] एल.के.एस में प्रार्थीगण इन्द्रजीत, अमीलाल, भूपराम के नाम प.न. 32 / 276 के किला न. 1 ता 8 में कुल 1.8970 हैक्ट. कृषि भूमि दर्ज है, जो प्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि के चिपती हुई है, उक्त कृषि भूमि के प.न. 32 / 276 के किला न. 5, में खाला में रास्ता व किला न. 6 में जान बूझकर भी खाला तथा रास्ता दर्ज हे जिसे प्रार्थीगण द्वारा जानबूडकर छुपाया गया है ताकि अप्रार्थीगण को हैरान

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.12.05 15:27:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

परेशान कर सके। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कथन मुझ अप्रार्थी से सम्बंधित न होने के कारण अस्वीकार है इसे सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित कथन जिस तरह अंकित किय है अस्वीकार है उक्त भूमि अप्रार्थी स. 8 ता 12 के नाम दर्ज है लेकिन उक्त खाता में महावीर प्रसाद पुत्र मोहनलाल के नाम भी कृषि भूमि दर्ज है जो कि उक्त खाते में सहकाश्तकार है, जिसे पक्षकार नही बनाया गया इसी कारण सहकाश्तकार को पक्षकार न बनाने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 में वर्णित कथन प्रार्थीगण से सम्बंधित है जिसे सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 में वर्णित कथन अस्वीकार है, मुझ अप्रार्थी के हिस्से की कृषि भूमि में किसी भी प्रकार का रास्ता चालू नही है ना ही प्रार्थीगण उक्त रास्ता में से आना जाना करते है मुझ अप्रार्थिया द्वारा सन 2023 में देवेन्द्र कुमार से पूर्ण प्रतिफल देकर उक्त भूमि खरीदी थी तथा जिसका राजस्व रिकार्ड में अंकन हो चुका है, प्रार्थीगण प.न. 32/276 के किला न. 5 व 6 में स्वीकृतशुदा रास्ता जो आगे जाता है से होकर अपनी कृषि भूमि में आना जाना करते है प्रार्थीगण की कृषि भूमि को रास्ता लगता है इसलिए ये प्रार्थीगण नया रास्ता पाने के अधिकारी नही है, इस दफा में यह कथन कि मेरे द्वारा कोई प्रतिफल लिया गयां अस्वीकार है। मेरे द्वारा पूर्ण प्रतिफल देकर उक्त भूमि खरीदी गई है। प्रार्थीगण का उक्त कृत्य मुझ अप्रार्थीया को परेशान करने वाला है प्रार्थीगण ने अप्रार्थीया के विरूद्ध गलत तथ्यो पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये है ताकि उनकी जमीन हडप सके इस आधार पर भी प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। अत जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 1 एल.के.एस के प.न. 32/276 के किला न. 5, 6 में स्वीकृतशुदा रास्ता है जिससे वह आना जाना करता है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध है प्रार्थीगण को रास्ता उपलब्ध है जो कि उसके काफी नजदीकी है उक्त प्रार्थना पत्र गलत पेश किया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 13 राजपैरोकार/तहसीलदार पीलीबंगा से प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की जा चुकी है। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार प्रार्थीगण द्वारा चक 1 एलकेएस के प.नं. 31/375 के किला नं. 1 ता 5 प.नं. 32/375 के किला नं. 1 ता 3 में मौके पर रास्ता चालू है प.नं. 31/374 के किला नं. 21 में चालू नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा उस भूमि में पूर्व में कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते से कम दूरी का रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता जो मौके पर चालू नहीं है।

बहस उभय पक्षसुनी गई। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों राजीनामा, ईकबाल दावा प्रस्तुत किया गया है। बहस पर मनन कर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संलग्न दस्तावेजों शपथ पत्र एवं हमारे द्वारा स्वयम् द्वारा मौका निरिक्षण बाद तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्व काश्ताकरी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के तहत स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.12.05 15:27:50 IST
Reason: SelfAttested

—आदेश—

हमने पत्रावली का अवलोकन [illegible] पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों राजीनामा ईकबाल दावा एवं तहसीलदार पीली[illegible] का अवलोकन व अध्ययन किया गया। तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट व प्रस्तुत नक्शा एव मौका निरीक्षण के अनुसार मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार प्रार्थीगण द्वारा चक 1 एलकेएस के प.नं. 31/375 के किला नं. 1 ता 5 प.नं. 32/375 के किला नं. 1 ता 3 में मौके पर रास्ता चालू है प.नं. 31/374 के किला

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

नं. 21 में चालू नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा उस भूमि में पूर्व में कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते से कम दूरी का रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता जो मौके पर चालू नहीं है। अतः रास्ता प्रकरण अत्यांत्कि रास्ता की श्रेणी आता है। इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 क आरटीए के प्रावधानों के अनुरूप साबित होने पर स्वीकार किया जाता है कि तहसील पीलीबंगा चक 1 एलकेएस के प.नं. 31/274 के किला नं. 21/. 0023 हैक्ट. दक्षिणी पश्चिमी कुंट, प.नं. 31/275 के किला नं. 1 ता 5, प.नं. 32/275 के किला नं. 1 ता 3 प्रत्येक मे 0.0125–0.0125 हैक्ट. बैजानिब उत्तरी दिशा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थी रास्ता के प्रतिफल के रूप में डीएलसी की दुगना राशि खजाना राज में जमा करवाया जाकर आदेशों की पालना में तहसीलदार उक्तानुसार रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 29.11.24 सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.12.05 15:27:50 IST
Reason: SelfAttested